

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 510/2025

1. जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री छिन्द्रपाल जाति ब्राह्मण निवासी चक जहाना ढाणी 16 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ(राज.)
2. छिन्द्रपाल पुत्र श्री रामजीलाल जाति ब्राह्मण निवासी चक जहाना ढाणी 16 एस.टी.जी. तहसील हनुमानगढ जिला हनुमानगढ(राज.)
3. बलजीत सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
4. भुपेन्द्र सिंह पुत्र श्री कुलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

-वादीगण

बनाम्

- कुलविन्द्र सिंह पुत्र श्री खेम सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
- बलविन्द्र सिंह पुत्र श्री खेम सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
- हरजीत कौर पत्नी श्री खेम सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
- राजवीर कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी सिंहपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
- शाखा प्रबन्धक हनुमानगढ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. शाखा संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)
- शाखा प्रबन्धक युनियन बैंक आफ इंडिया शाखा हनुमानगढ जिला हनुमानगढ(राज.)
- अधिसाषी अभियन्ता(सिंचाई विभाग) हनुमानगढ तहसील व जिला हनुमानगढ(राज.)
- तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ(राज.)

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से

:- श्री गुरमीत सिंह कलसी, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 1ता4 की ओर से

:- श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल, एडवोकेट

प्रतिवादी सं. 5 की ओर से

:- श्री मोतीलाल कंदोई, एडवोकेट

महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

लगातार --2

दावा अ. धारा 53 आर.टी.ए. व धारा 8(1) रा.उप.अधि.

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री गुरमीत सिंह कलसी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई तथा श्री गुरविन्द्र सिंह राजपाल वकील प्रतिवादी सं. 1ता4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वादीगण का खाता वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम अमलदरामद किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे तथा अधिशापी अभियंता जल संसाधन खण्ड प्रथम हनुमानगढ़ के पत्र क्रमांक 703 दिनांक 18.09.2025 जारी तथा तहसीलदार राजस्व संगरिया के पत्र क्रमांक ए-2/डी/खा-रा./बा.नह/भूअ./26/428 दिनांक 09.01.2026 की मौका रिपोर्ट के आधार पर चक 24 ए.एम.पी. के प.नं. 106/164 कि.नं. 1ता5,10,11,20,21 तथा प.नं. 106/165 कि.नं. 1 तथा प.नं. 106/163 कि.नं. 10,20,21 मे दर्ज गै.मु. खाला को निरस्त कर उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में बतौर मुमकिन आराजी दर्ज की जावे। वादीगण का खाता निम्न प्रकार से अलग किया जाता है:-

(क) वादी सं. 1 जसविन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री छिन्द्रपाल का हिस्सा:-

चक 24 ए.एम.पी. खाता सं. 61/54

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
106/163	31	16,23,24,25/0.253 है.प्र.,
<u>कुल 1.012 है.,</u>		

(ख) वादी सं. 2 छिन्द्रपाल पुत्र श्री रामजीलाल का हिस्सा:-

चक 24 ए.एम.पी. खाता सं. 61/54

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
106/163	31	22/0.253 है.,
<u>कुल 0.253 है.,</u>		
106/164	32	1,2,3,4/0.253 है.प्र.,
5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.गै.मु. खाला,		
8,9,10/0.253 है.प्र.,		
<u>कुल 2.024 है.मय गै.मु.</u>		

निज निल मुब्लिकनिल बाबत
..........निल.......... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख वसूलयाबी तकको अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 9.2.2026
को जारी किया जाता है।


(जय कौशिक)

सहायक कलेक्टर एवं
महायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व),
संगरिया